अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

(A) उद्योग (Industries)

⇒ उद्योगों के प्रकार

① कुटीर उद्योग
- → यह घर आधारित उद्योग होते हैं।
- → इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है।
- → पूंजीगत निवेश नगण्य होता है।
- → वर्तमान में यह उद्योग खत्म होने की कगार पर है।

② ग्राम उद्योग
- → यह उद्योग गाँव के स्तर पर लगाये जाते हैं।
- → इनमें पूंजीगत निवेश 1 लाख रुपये तक का किया जाता है।
- → इनके संरक्षण और विकास के लिये खादी और ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना की गई है 1957 में।

③ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME)
- → इनके विकास के लिये MSME मंत्रालय का गठन किया गया।

(MSME Act 2006)

परिभाषा	प्लांट तथा मशीनरी में निवेश	वार्षिक टर्नओवर
① Micro (सूक्ष्म)	Not more than 1 Crore	Up to 1cr–5cr
② Small (लघु)	1cr. to 10 cr	5cr up to 50 cr
③ Medium (मध्यम)	10cr. to 50 cr.	50cr. up to 250 cr.
④ large (वृहत्)	More than 50 cr	More than 250 cr.

Note

बाजार पूंजी के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण

(बाजार पूंजी) Market Capital (M-Cap) = शेयर की संख्या × एक शेयर की कीमत

Small Comp. = m-cap < 5000 cr

Mid Comp. = 5000 cr < m-cap < 20000 cr
(5000 cr – 20000 cr)

large cap = m-cap > 20,000 cr

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP)

→ IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।

→ इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।

→ आधार वर्ष = 2011-12

→ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक → विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्र के 407 मदों के उत्पादन के आधार पर मापा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा भारांश विनिर्माण क्षेत्र को दिया जाता है।

क्षेत्र		भारांश
① विनिर्माण	→	77.63%
② खनन	→	14.37%
③ विद्युत	→	7.99%

→ उपयोग के आधार पर 407 मदों को 6 भागो में बाँटा गया है, जो निम्न है :

भाग = 6	मद = 407	भारांश = 100%
① प्राथमिक / बुनियादी वस्तुएँ	15 (सबसे कम)	34.1 %
② पूँजीगत वस्तुए	67	8.2 %
③ मध्यस्थ वस्तुएँ	110 (सबसे अधिक)	17.2 %
④ विनिर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर वस्तुएँ	29	12.3 %
⑤ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुए	86	12.8 %
⑥ गैर - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ	100	15.3 %

8 कोर उद्योगो का सूचकांक

→ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है।

↳ मंत्रालय :- वाणिज्य और उद्योग

↳ विभाग :- Department of Promotion of Industries and Internal Trade (DPIIT)

↳ कार्यालय :- आर्थिक सलाहकार कार्यालय

↳ 8 Core Industries

① रिफाइनरी उत्पाद → 28.04 %

② विद्युत → 19.85 %

③ इस्पात → 17.92 %

④ कोयला → 10.33 %

Springboard Academy

⑤ कच्चा तेल → 8.98%
⑥ प्राकृतिक गैस → 6.88%
⑦ सीमेन्ट → 5.37%
⑧ उर्वरक → 2.63%

⇒ IIP में 8 कोर उद्योगों का भारांश = 40.27%

औद्योगिक नीतियाँ

① पहली औद्योगिक नीति → 1948 में
↳ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा
→ इस औद्योगिक नीति से यह निर्धारित हुआ कि भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया जायेगा।
→ अर्थात् बाजार पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का ही नियंत्रण होगा।
→ इसके तहत उद्योगों को ④ श्रेणियों में बाँटा गया।

① सामरिक उद्योग
→ इसमें ③ उद्योग रखे गये।
→ इसे पूर्ण रूप से सरकार के लिए आरक्षित रखा गया।
→ निजी निवेश की कोई अनुमति नहीं थी।

② प्रमुख / बुनियादी उद्योग
→ इसमें कुल ⑥ उद्योग रखे गये।
→ इसमें नये निजी निवेश को अनुमति नहीं दी गई थी। पहले से चले आ रहे निजी निवेश को अनुमति थी।

③ महत्वपूर्ण उद्योग
→ इसमें कुल ⑱ उद्योग रखे गये।

Springboard Academy

→ इसमें सरकार के साथ निजी निवेश को भी अनुमति दी गई थी।

(4) अन्य / Others
→ शेष उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।
→ यह निजी निवेश के लिये खुला था।

(II) दूसरी औद्योगिक नीति → 1956
↳ इस पर J.L. नेहरू और P.C. महालनोबिस का प्रभाव था।
→ इसे भारत का "आर्थिक संविधान" तथा "राज्य पूंजीवाद की बाइबिल" भी कहा जाता है।
→ दूसरी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए इसे जारी किया गया।

↳ विशेषताएँ
① भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण को प्राप्त करना। विशेषकर भारी उद्योगों के माध्यम से।
② इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया।
③ इसमें सहकारी क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया।
④ निजी क्षेत्र की भूमिका को भी स्वीकार किया गया परन्तु उसे सरकार के द्वारा नियंत्रित किया गया।
⑤ छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया।

→ इस नीति में उद्योगों को ③ श्रेणियों में बांटा गया।
① Schedule - A / अनुसूची - अ
→ इसमें कुल (17) उद्योग रखे गये।

→ तथा इसे सरकार के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित रखा गया अर्थात निजी निवेश को अनुमति नहीं थी।

(2) Schedule-B

→ इसमें कुल (12) उद्योग रखे गये।

→ इसमें सरकार के साथ-2 निजी निवेश को भी अनुमति दी गई। परन्तु निजी क्षेत्र को लाइसेंस और कोटा / quota के माध्यम से नियंत्रित किया गया।

(3) Schedule-C

→ शेष बचे उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।

→ यह निजी निवेश के लिए खुला था। परन्तु निजी क्षेत्र को लाइसेंस और कोटा के माध्यम से नियंत्रित किया गया था।

⇒ सरकार के द्वारा निवेश के लिये कुछ विशेष संस्थाएं बनाई गई जिन्हें PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) कहा गया।

↳ छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया गया। इसमें बड़े निजी निवेश की अनुमति नहीं थी।

⇒ औद्योगिक नीति के प्रभाव

→ प्रारम्भिक काल में इस नीति के सकारात्मक प्रभाव देखे गये

(1) अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा।

(2) रोजगार के अवसर सृजित हुए।

(3) GDP में वृद्धि हुई।

→ परन्तु दीर्घकाल में इस नीति के <u>नकारात्मक</u> प्रभाव भी देखे गये।

(1) PSU रोजगार प्रदान करने के मुख्य स्रोत थे। इसलिये सीमित मात्रा में ही रोजगार के अवसर सृजित हुये

(2) PSU में राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक था इस कारण अधिकतर PSU घाटे में रहने लगे।

(3) घाटे की पूर्ति बजटीय सहायता से की गई। जिसके कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश नहीं हो सका।

(4) PSU का एकाधिकार स्थापित हो गया। जिसके कारण प्रतिस्पर्धा की कमी थी। तथा वस्तु व सेवाओं की गुणवत्ता भी कमजोर थी।

(5) निजी क्षेत्र अत्यधिक सीमित था। और लाइसेंस व कोटा के कारण भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया।

(6) निर्यात अत्यधिक सीमित थे। '<u>आयात प्रतिस्थापन की नीति</u>' के कारण घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता कमजोर हुई। तथा उनकी लागत भी अधिक हुई।

* 1991 का आर्थिक संकट

→ मूल रूप से यह <u>भुगतान संतुलन</u> का संकट था। क्योंकि <u>खाड़ी युद्ध</u> के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई। अन्य क्षेत्रों में भी संकट की स्थिति थी।

<u>जैसे</u> —
- भारत पर विदेशी ऋण अधिक था,
- भारत की क्रेडिट रेटिंग को कम कर दिया गया था।
- राजकोषीय घाटा अधिक था।
- मुद्रास्फीति अधिक थी। तथा देश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता अधिक थी।

* [आर्थिक सुधार] → उदारीकरण (Liberalisation)
→ निजीकरण (Privatisation)
→ वैश्वीकरण (Globalisation)

Ⓐ उदारीकरण

→ इसका अर्थ है - अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को कम करना।

→ विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया।

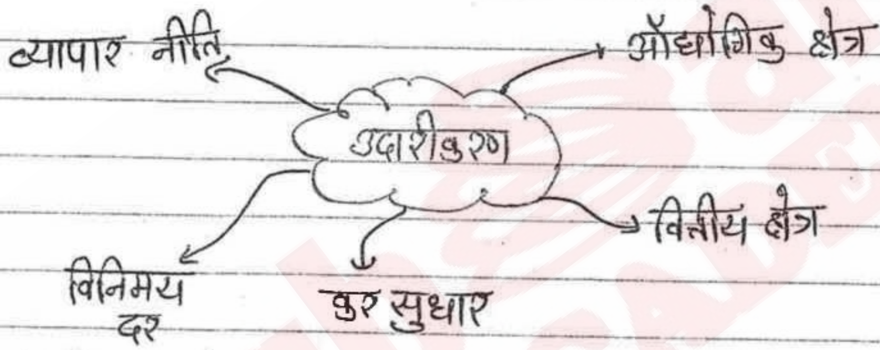

Ⓘ औद्योगिक क्षेत्र

→ औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए "नई औद्योगिक नीति" 1991 में जारी की गई।

Ⓘⓘ नई औद्योगिक नीति - 1991

• इस नीति पर P.V. नरसिम्हाराव तथा डॉ० मनमोहन सिंह का प्रभाव था।

↳ विशेषताएँ

① औद्योगिक वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया अर्थात सभी क्षेत्र निजी निवेश के लिए खुले थे। परन्तु अपवाद के रूप में ③ क्षेत्रों को सरकार के लिए आरक्षित रखा गया।

(i) रेलवे

(ii) परमाणु ऊर्जा & खनिज

(iii) रक्षा उपकरण

② लाइसेंस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। परन्तु अपवाद के रूप में ⑤ क्षेत्रों में लाइसेंस की आवश्यकता को रखा गया है।

(i) शराब, सिगरेट & तम्बाकू
(ii) खतरनाक रसायन
(iii) औद्योगिक विस्फोटक
(iv) इलेक्ट्रॉनिक तथा वायुयान के उपकरण
(v) दवाईयाँ

③ कोटा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया। इसके लिये MRTP Act, 1969 में संशोधन किया गया।
→ Monopolies and Restrictive Trade Practices
एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रियाएं।

④ अधिकांश क्षेत्रों में बाजार आधारित कीमतें अपनाने की अनुमति दी गई।

(II) वित्तीय क्षेत्र
→ वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। (1991 में)

(III) कर सुधार
→ कर सुधार के लिए 1991 में राजा चैलैया समिति का गठन किया गया।

(IV) विनिमय दर
→ 1991 में दो बार रुपये का अवमूल्यन किया गया।
→ 1993 में बाजार आधारित विनिमय दर को अपनाया गया। जिसे floating but Managed Exchanged Rate कहा जाता है।

→ FERA, 1973 को FEMA, 1999 से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

(FERA → foreign Exchange Regulation Act; FEMA → foreign Exchange Management Act)

(V) व्यापार नीति

→ आयात - निर्यात पर टैरिफ दरों को कम कर दिया गया।

→ आयात लाइसेंस की नीति को समाप्त कर दिया गया कुछ उत्पादों को छोड़कर।

→ आयात - निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया।

(B) निजीकरण

→ इसका अर्थ है सरकारी कंपनी का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना।

→ इसके लिए विनिवेश की नीति को अपनाया जाता है।

→ निजीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है।

① सरकार की हिस्सेदारी को 51% से कम कर देना।

② सरकारी कंपनी की पूर्ण बिक्री

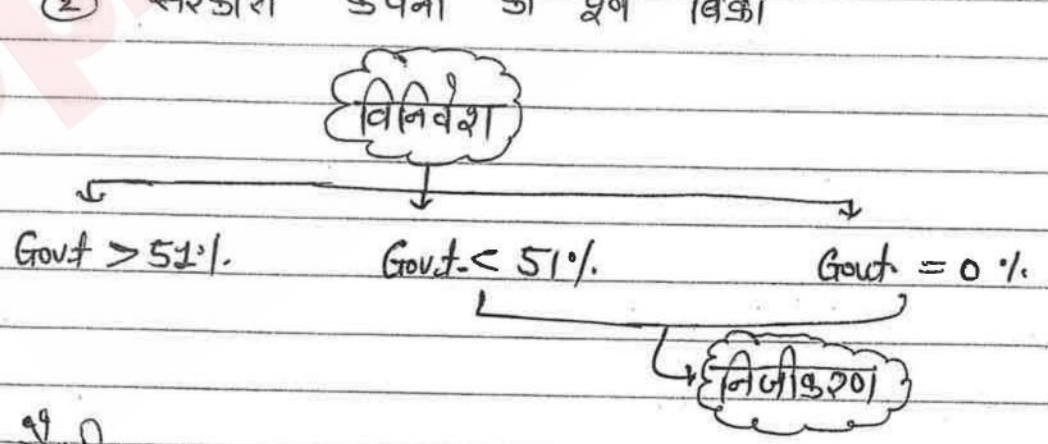

(C) वैश्वीकरण

→ इसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना।

→ इसके लिए निम्नलिखित कार्य किये गये :

① भारत में विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है।
② भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों में निवेश किया गया। जिससे वैश्विक पदचिह्न स्थापित हुए।
जैसे → Adani Ports, Airtel, ONGC, INFOSYS, TCS, TATA MOTORS, Reliance
③ भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशी कंपनियों को सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है।
जैसे — IT सेवाएं, BPO (call centers)
↳ Business process Outsourcing

↳ LPG सुधार का मूल्यांकन

* उपलब्धियाँ → ① भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
② भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है।
③ भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 650 बिलियन डॉलर है। अर्थात् भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से भारत एक मजबूत स्थिति में है।
④ GDP में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हुए है।
⑤ गरीबी कम हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये है।
⑥ सरकार की कर आय में वृद्धि हुई है तथा बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाने की राजकोषीय क्षमताएँ उत्पन्न हुई है।
⑦ शहरीकरण बढ़ा है। जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है।

* चुनौतियाँ → ① GDP में वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के कारण हुई है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके।

(2) आर्थिक असमानता बढ़ी है।
(3) औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
(4) आधारभूत ढ़ांचा अभी भी कमजोर है।
(5) HDI, Global Hunger Index आदि में भारत की रैंक कम है।
(6) कौशल का अभाव है।

MSME का महत्व

→ GDP में योगदान → 8%
→ निर्यात में योगदान → 45%
→ रोजगार → 11 crore
→ 2022 में अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में MSME की हिस्सेदारी → 35.4%

⇒ MSME के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

(1) औपचारिकीकरण और समावेशन से जुड़ी समस्याएँ
(2) कम निवेश।
(3) किफायती और समय पर वितपोषण की कमी।
(4) बाजार, तकनीक और डिजीटलीकरण तक सीमित पहुँच।
(5) बड़ा ऋण अंतर (20-25 लाख करोड़)
(6) इसे राज्य सरकारों के व्यापक विनियमन, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।
(7) सीमित कुशल कार्यबल
   • इससे अकुशलता, उत्पादन में देरी और उत्पाद की गुणवत्ता में कमी हो सकती है।
(8) अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा जैसे खराब सड़क संपर्क, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और आधुनिक सुविधाओं तक पहुँच की कमी।

↳ सरकारी योजनाएं / पहल (for MSME) (Related to MSME)

(1) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

→ मान्यता :- कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड

→ कौशल उन्नयन :- 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, जिसमें प्रतिदिन 500/- का वजीफा शामिल है।

→ टूलकिट प्रोत्साहन :- बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000/- तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

→ ऋण सहायता :- दो किस्तों में 3 लाख रूपये तक का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण'

↳ पहली किस्त 1 लाख रूपये की है, और दूसरी 2 लाख रूपये की है, जिसमें ऋण अवधि क्रमशः 18 महीने और 30 महीने है।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
(Detail से Booklate में)

(3) Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)

(4) उद्यम पंजीकरण पोर्टल (2020)

(5) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015)

(6) MSME प्रतिस्पर्धी (LEAN) योजना

(7) संशोधित शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) प्रमाणन योजना (2016)

(8) MSME समाधान पोर्टल

(9) सरकारी ई - मार्केटप्लेस (जेईएम) (GeM)

(10) चैंपियंस पोर्टल

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएँ

① भारत में आधारभूत ढांचे का कमजोर होना जैसे - परिवहन, संचार, विद्युत, आवास आदि।

② भूमि अधिग्रहण में जटिलता

③ भारतीय श्रमिकों में कौशल का अभाव

④ श्रम कानूनों की जटिलता

⑤ वित्तीय समावेशन की कमी के कारण वित्त की उपलब्धता में कमी होना तथा पूंजी की लागत का अधिक होना।

⑥ भारतीयों में उद्यमिता की प्रवृत्ति का कमजोर होना।

⑦ भारतीय उद्योगों का विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाना।

⑧ सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों का अत्यधिक अस्पष्ट होना।

⑨ पर्यावरण कानूनों की जटिलता

⑩ व्यापार करने की सुगमता का अत्यधिक कम होना।

⑪ कर दरों की अधिकता एवं कर विवाद

⑫ अधिकतर उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाता है। अतः उत्पादन की लागत अधिक है।

⑬ उद्योगों का असंगठित स्वरूप

⑭ कच्चे माल की उपलब्धता में कमी।

⑮ उन्नत तकनीक का अभाव

⑯ भ्रष्टाचार, भाई - भतीजावाद, लालफीताशाही आदि।

(Detail in Booklate)

↳ सरकारी योजनाएं / पहल

1. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) (April 2020)
2. Make In India (25 Sept. 2014)
3. PM गतिशक्ति योजना (13 Oct 2021)
4. प्रोजेक्ट भारतमाला
5. प्रोजेक्ट सागरमाला (March 2015)
6. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाईन → केंद्र – 39%, राज्य – 39%, निजी – 22%
7. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
8. Start-up India
9. Stand-up India → loan → SC/ST & females
10. PM Mitra Park Scheme → Textile
    ↳ वस्त्र मंत्रालय द्वारा
    घोषणा ↳ बजट 2021-22

(B) कृषि

(Agriculture)

वर्तमान स्थिति

→ कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। 2001 में देश की लगभग 53% आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर थी और भारत की 57% भूमि पर खेती होती थी।

→ GDP में हिस्सा :- 18.2% (प्रचलित मूल्यों पर) जबकि वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह हिस्सा 55.4% था।

→ राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है लेकिन फिर भी आजीविका के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

→ आजीविका सहायता :- जनसंख्या का 42.3%

Springboard ACADEMY

कृषि की समस्याएँ

⇒ फसल काटने से पहले की समस्याएँ

① खंडित भूमि जोत

→ लगभग ८७.५% कृषक परिवारों के पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है। (लघु और सीमांत)

→ इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और परिवार में जोतों का वितरण है।

→ मशीनीकरण, सिंचाई सुविधा, भण्डारण आदि जैसे पूंजीगत व्यय लाभदायक नहीं है।

Note भूमि = राज्य सूची का विषय

↳ भूमि सुधार

→ जमींदारी प्रथा की समाप्ति

→ भूमि की अधिकतम सीमा के व्यक्ति के अधीन निर्धारित की गयी (हदबंदी)

→ भूमि का एकीकरण (चकबंदी)

→ काश्तकारी सुधार लागू (काश्तकारों को जमीन पर मालिकाना हक दिया गया)

→ भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम,

→ काश्तकारों की सुरक्षा

→ वन अधिकार अधिनियम (पट्टा उन वनवासियों को दिया जाता है जिनका परिवार पिछले 75 वर्षों से उस वन भूमि पर खेती कर रहा है)

② अस्पष्ट भूमि अभिलेख

→ इसके कारण कानूनी विवादों की संख्या अधिक है, जो भूमि पर निवेश और कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है।

↳ सुधार → ① स्वामित्व योजना (SWAMITVA) → Abadi Village Mapping

② डिजीटल कृषि मिशन

(Detail → Book later)

③ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अभाव
→ सर्वोत्तम उपज के लिए, संकर बीजों (हर साल) और गैर-संकर बीजों (हर तीन साल) का आवधिक प्रतिस्थापन होना चाहिए। लेकिन भारत में, बीजों की प्रतिस्थापन दर कम है।

कारण
→ प्रमाणिक बीजों की अनुपलब्धता
→ अधिक मूल्यों के कारण वहनीय नहीं
→ GM फसलों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताए

↳ सुधार
↳ सरकार ने बीज विकास में 100% FDI को मंजूरी दी है।
↳ बीज ग्राम कार्यक्रम
- प्रशिक्षित किसानों द्वारा विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार किए जाते हैं।
- आपदा के दौरान बीज उपलब्ध कराने के लिए 'बीज बैंक' की स्थापना की गई है।

↳ हरित क्रांति
↳ GM फसलों को मंजूरी
उदा० – Bt कपास, Bt बैंगन, GM-सरसों

④ सिंचाई के साधनों का अभाव
→ अनियमित मानसून पर निर्भरता :- 50% से अधिक कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए इसे 'मानसून का जुआ' कहा जाता है। मानसून की बारिश केवल चार महीने तक होती है।
→ प्रमुख स्रोत :- कुए, तालाब, नहरें और नलकूप।
(भूमिगत जल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला देश भारत है।)

→ डार्कजोन की समस्या – नलकूपों के माध्यम से भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण।

→ पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती (पानी का असंवहनीय उपयोग) जैसे - गन्ना, चावल आदि।

→ नहरी क्षेत्र में नहर का रखरखाव समय पर नहीं होने के कारण जलभराव की समस्या।

→ वाष्पीकरण के कारण भी सिंचाई जल का नुकसान होना।

→ भारत में सिंचाई जल उत्पादकता बहुत कम है।

↳ सुधार

① प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

② अटल भू-जल योजना

③ सूक्ष्म सिंचाई कोष

④ राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

⑤ उर्वरकों (रसायनिक) का अवैज्ञानिक प्रयोग

→ मुख्य उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) का अनुपात मृदा में 4:2:1 होना चाहिए परन्तु भारत में यह अनुपात 8:3:1 है।

→ इस असंतुलन का मुख्य कारण सब्सिडी युक्त रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग है जिसमें सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया जाता है।

→ इससे भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है तथा भूजल भी दूषित होता है।

↳ सुधार – ① पोषक तत्व आधारित सब्सिडी

② मृदा स्वास्थ्य कार्ड

③ PM प्रणाम योजना

④ जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया।
 • परम्परागत कृषि विकास योजना

⑤ नैनो फर्टिलाइजर्स

⑥ <u>कृषि मशीनीकरण की समस्या</u>

→ भारत में कृषि उपकरणों की कमी

→ उपलब्ध कृषि उपकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

→ छोटे और सीमांत किसानों के पास आधुनिक मशीनों के लिए वित्त की कमी है।

↳ <u>सुधार</u>

→ हरित क्रान्ति योजना

→ किसान ड्रोन

⑦ <u>कृषि वित्त की समस्या</u>

→ वित्तीय समावेशन की ~~कमी~~ के कारण, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कम है तथा ऋण वहनीय नहीं है।

इस वजह से किसान ऋण के लिए साहूकारों पर अत्यधिक निर्भर है, और उच्च ब्याज दरों और कठोर वसूली की विधियों से पीड़ित है।

↳ <u>सुधार</u>

→ RBI - PSL मानदण्ड

→ बैंको का राष्ट्रीयकरण

→ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक की व्यवस्था

→ ऋण माफी

→ परक्राम्य गोदाम रसीदें - कृषि उपज की संकटपूर्ण

बिक्री को रोकने के लिए।
→ संयुक्त देयता समूह किरायेदार किसानों (टिनेंट) के लिए ऋण के आवश्यक स्रोत के रूप में उभरे हैं।
→ किसान क्रेडिट कार्ड योजना
→ ब्याज अनुदान योजना।

⑧ कृषि बीमा की समस्या
→ कृषि मे विभिन्न प्रकार के जोखिम होते हैं।
जैसे - मौसम संबंधी, जानवरों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित
परन्तु कृषि क्षेत्र मे बीमा अत्यधिक कम है क्योंकि प्रीमियम की दरे अधिक है तथा जागरूकता का अभाव है। और नुकसान की भरपाई समय पर नहीं की जाती है।

↳ सुधार - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

⇒ फसल कटाई के बाद की समस्याएँ
① कृषि विपणन की समस्या।
→ राज्य सरकारों ने APMC (कृषि उपज विपणन समिति) अधिनियम पारित किया। जिसके अनुसार कृषि उपज केवल कृषि मंडियों में ही बेची जा सकती है।
→ मंडियों की संख्या कम है और किसान को मंडी तक पहुंचने के लिए परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है।
→ मंडियों द्वारा विभिन्न शुल्क और कर लगाए जाते हैं, जिससे आय प्रभावित होती है।
→ फसल को मंडियों में केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही बेचा जा सकता है। इन

व्यापारियों की संख्या कम है और वे कार्टेल (समूह) बनाते हैं, जिसके कारण किसान को प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल पाता।

→ किसान की मदद के लिए 'आड़तिया' नामक एक बिचौलिया होता है, जो अपनी सेवाओं के लिए कमीशन लेता है, इससे किसानों का लाभ कम हो जाता है और बिचौलियों की एक श्रृंखला बन जाती है।

→ मंडी में भण्डारण, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है, जिससे फसल को नुकसान होता है।

↳ सुधार :- (i) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-NAM)

(ii) GrAM (ग्राम) :- ग्रामीण कृषि बाजार

- 22000 हाट बाजारों को ग्राम बाजारों के रूप में विकसित करना।

(iii) मॉडल APMC एक्ट, 2003

- सरकारी मंडियों के अलावा निजी मंडियों को भी स्थापित किया जा सकेगा।
- इसमें 'अनुबंध खेती' की अनुमति दी गई है।

② किसानों की कम आय

→ केन्द्र सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसानों की औसत आय 10218/- प्रति माह है।

→ केन्द्र सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया परन्तु इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

↳ सुधार ⇒ (i) MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) → MSP को कुल लागत का डेढ़ गुना कर दिया गया।

② pm किसान सम्मान निधि
③ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
④ कुसुम योजना (KUSUM)
→ Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan Yojna
⑤ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
⑥ कृषि अवसंरचना निधि
⑦ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि निर्यात नीति-2018' जारी की गई।

खाद्य प्रबंधन / सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

→ भारत में खाद्य प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा किया जाता है।
→ यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्नों की कमी को प्रबंधित किया जाता है।
→ अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों को खरीदकर कमी वाले स्थानों पर वितरित किया जाता है।
→ इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
→ इसमें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है।
→ केंद्र सरकार की जिम्मेदारियाँ
① MSP की घोषणा।
② खरीद
③ भण्डारण
④ परिवहन
(② – ④ → FCI के द्वारा)
⑤ राज्यों को आवंटन

→ राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ

① राज्य में वितरण
② उचित मूल्य की दुकानों का नियमन
③ लाभार्थियों की पहचान
④ लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना।

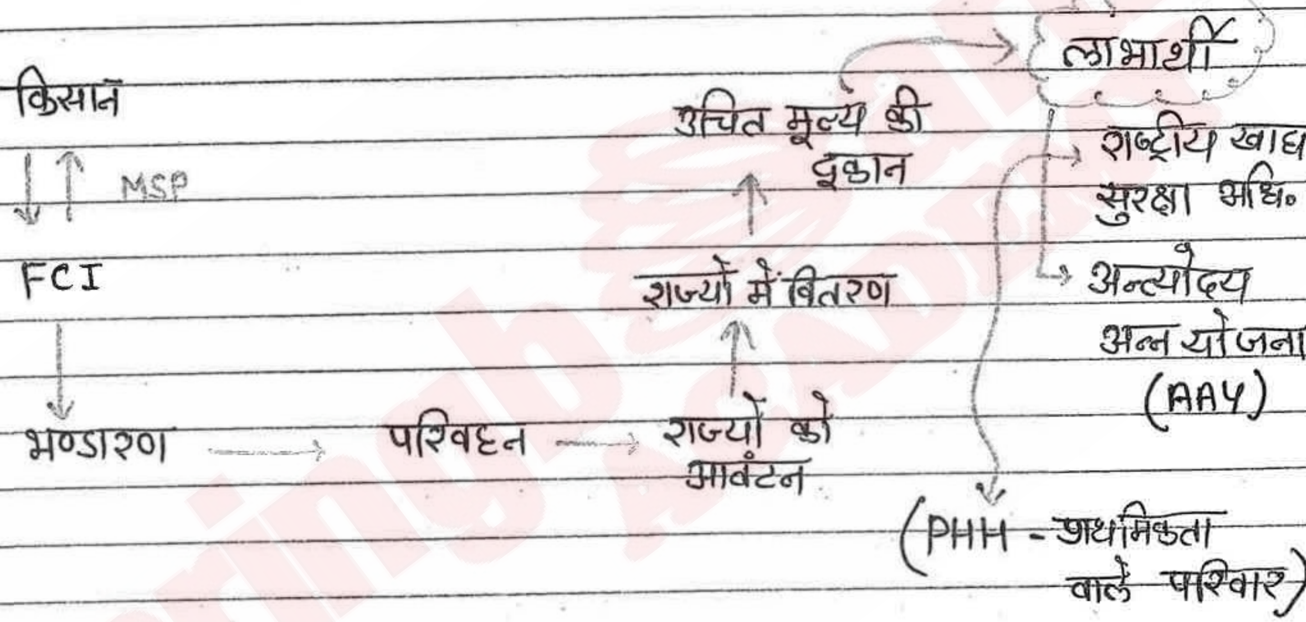

⇒ <u>आर्थिक लागत</u> = FCI की कुल लागत (अर्थात् भण्डारण, परिवहन और खरीद की लागत)

⇒ <u>केंद्रीय निर्गत मूल्य</u> (CIP) → वह मूल्य जिस पर खाद्यान्न या अनाज को FCI द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है।

<u>जैसे</u> - चावल - 3 Rs./Kg
गेहूँ - 2 Rs/Kg

⇒ <u>खाद्य सब्सिडी</u> = आर्थिक लागत - केन्द्रीय निर्गत मूल्य

→ यह सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा FCI को दी जाती है।

Springboard Academy

→ **PDS के तहत अनाज वितरण**

- गेहूँ
- चावल
- मोटे अनाज

↳ कुछ राज्य अन्य पदार्थ भी वितरीत करते है :-

- खाद्य तेल
- आयोडीन नमक
- दाल

Note → राज्य के अन्दर सभी प्रकार के खर्चे राज्य द्वारा सरकार द्वारा उठाये जाते है।

⇒ **भारत में PDS का विकास**

- **1960 का दशक** → भोजन की कमी को दूर करने के लिए छोटे पैमाने पर PDS को शुरू किया गया।
- **1992** → पुनर्रोत्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई।(R-PDS)
- **1997** → लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। (T-PDS)
- **2013** → राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पारित किया।
  - ↳ इस कानून के तहत भोजन के अधिकार को 'कानूनी अधिकार' बनाया गया।
  - ↳ इसके तहत 67% आबादी को कवर किया गया।
    - ग्रामीण जनसंख्या – 75%
    - शहरी जनसंख्या – 50%

↳ प्रति व्यक्ति / माह → 5 Kg खाद्यान्न आवंटन

3Rs/Kg – चावल
2Rs/Kg – गेहूँ
1Rs/Kg – अनाज
] → केंद्रीय निर्गमन मूल्य (CIP)

↳ इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को Rs. 6000/– मातृत्व लाभ

• <u>अन्त्योदय अन्न योजना</u> के लाभार्थी प्रति परिवार प्रति माह 35 Kg खाद्यान्न।

↳ बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं / माताओं को पोषण सहायता।

⇒ कोरोना संकट के समय '<u>प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना</u>' की शुरुआत की गई। (April 2020 में) जिसके तहत 5 Kg अनाज Per Person प्राथमिकता वाले परिवारों को दिया गया।

→ <u>31 Dec. 2022</u> को <u>NFSA</u> को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' में मिला दिया गया।

→ वर्तमान इस योजना के तहत 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है।

<u>MSP</u> → <u>न्यूनतम समर्थन</u> मूल्य

→ सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पाद एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर क्रय करने की गारंटी दी जाती है। जिसे MSP कहते हैं।

↳ <u>उद्देश्य</u>

① किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना

② PDS प्रणाली को संचालित करना

③ फसल पैटर्न को प्रभावित करना।
(किसी विशेष फसल को प्रोत्साहित व हतोत्साहित किया जा सकता है।)

④ कृषि मे निवेश को बढ़ाना जिससे कि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

→ भारत में MSP की गणना व अनुशंसा 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा की जाती है।

→ MSP की घोषणा आर्थिक मामलो की कैबिनेट समिति द्वारा की जाती है।

→ CACP एक कार्यकारी संस्था है।
↳ स्थापना - 1965

⇒ MSP की गणना
इसके लिए निम्नलिखित लागत की गणना की जाती है।

- A2 लागत → कृषि की सभी आगतो की कुल लागत (बीज, खाद, मजदूरी, मशीनरी आदि)

- A2 + FL → A2 लागत में पारिवारिक श्रम की लागत को जोड़ दिया जाता है।

- C2 → A2 + FL + स्वयं की भूमि पर चुकाया गया किराया + स्वयं की पूंजीगत वस्तुओं का किराया। (जैसे - ट्रैक्टर)

⇒ MSP सदैव C2 से ज्यादा होती है। (MSP > C2)

- C3 = C2 + प्रबंधकीय लागत (10% of C2)

→ CACP के द्वारा C3 की गणना की जाती है परन्तु MSP से इसका सीधा कोई संबंध नही है।

Springboard Academy

→ 2007 में स्वामीनाथन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि MSP को C2 लागत का 1.5 गुना किया जाना चाहिए।

→ 2018 के बजट में सरकार के द्वारा MSP को A2+FL लागत का 1.5 गुना कर दिया गया।

→ अर्थात स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

→ लागत के अतिरिक्त MSP की गणना में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है -

1. मांग और आपूर्ति
2. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का ट्रेंड
3. अन्य फसलों की कीमतें
4. उपभोक्ता पर प्रभाव
5. कृषि और गैर कृषि व्यापार की शर्तें

→ MSP कुल 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है -

- 7 अनाज
- 7 तिलहन
- 5 दालें
- 4 वाणिज्यिक फसलें (गन्ने)

↳ गन्ने के लिए → FRP (उचित और लाभकारी मूल्य) घोषित किया जाता है।

→ गन्ने की खरीद चीनी मिल द्वारा की जाती है। तथा सब्सिडी भी चीनी मिलों को ही दी जाती है।

→ राज्य सरकार, केंद्र द्वारा दिए गये MSP के अलावा अन्य लाभ भी घोषित कर सकती है।

Springboard Academy

⇒ PDS की समस्याएँ

① FCI के द्वारा विलंबित खरीद।
② FCI के गोदामों की भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है।
③ FCI भण्डारण की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग नहीं कर रहा है।
④ परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी / लीकेज की समस्या।
⑤ केंद्र सरकार द्वारा जारी सब्सिडी में आमतौर पर देरी होती है।
⑥ राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार
⑦ उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार
⑧ जनता में जागरूकता की कमी
⑨ लाभार्थियों की पहचान, समावेशन और निष्कासन / बहिष्करण की त्रुटि
⑩ छद्म / प्रेत लाभार्थी की समस्या।

⇒ PDS की समस्या का समाधान

① GPS सक्षम वाहनों का प्रयोग।
② डिजीटल राशन कार्ड जो आधार से जुड़े हुए है।
③ लाभार्थी की पहचान की समस्या को हल करने के लिए PDS को सार्वभौमिक बनाया गया है।
④ PDS में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लागू किया जा रहा है।
⑤ उचित मूल्य की दुकानों का खुलने का समय SMS द्वारा सूचित किया जाता है।

⇒ PDS की महत्वपूर्ण योजनाएँ

① एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराइजेशन – 2012
② PDS प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया जिसे ए-PDS कहा जाता है – इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2018 में लॉन्च किया गया।

Springboard Academy

③ IMPDS (Integrated Management PDS) (PDS का एकीकृत प्रबंधन)

④ बायोमैट्रिक सत्यापन में आधार नंबर का उपयोग किया जाता है।

⑤ <u>वन नेशन वन राशन कार्ड योजना</u>

- इस योजना के तहत पूरे भारत के लिए ही राशन कार्ड जारी किया जाता है जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
- लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है परन्तु केन्द्र सरकारों के द्वारा लाभार्थियों की केन्द्रीकृत सूची बनाई जाती है।
- इस योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को हुआ है।

⑥ MERA RATION APP लॉन्च किया गया।

⇒ <u>FCI</u> में सुधार के लिये <u>शान्ता कुमार समिति</u> का गठन किया गया।

E-Commerce

→ भारत में ई-कॉमर्स के तीन प्रकार के मॉडल है।

① Inventory model
→ जब स्वयं की वस्तु या सेवा का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचा जाता है।
जैसे - Adidas के द्वारा स्वयं की वेबसाइट से जूते बेचना।

② Market Place Model
→ इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे - Website, App
→ इसमें किसी अन्य की वस्तु और सेवाओं को बेचा जाता है।

③ Hybrid model
→ इसमें Inventory & Market place दोनों प्रकार के मॉडल शामिल होते है।

⇒ भारत में ई-कॉमर्स की पहली कंपनी Shadi.com थी तथा दूसरी कंपनी Noukri.com थी।

→ 1996 से 2007 तक ई-कॉमर्स का विकास धीमी गति से हुआ है।
→ 2007 से 2016 के बीच इसका विकास मध्यम गति से हुआ है।
→ 2016 से वर्तमान तक तीव्र गति से विकास हो रहा है।

⇒ वर्तमान में इसके सामने मुख्य चुनौती Quick-Commerce है।
(Q-Commerce)

बेरोजगारी
(Unemployment)

⇒ जनसंख्या
- श्रम बल
  - कामगार
  - बेरोजगार
- गैर श्रम बल

⇒ श्रमबल का वह भाग जो श्रम करने के योग्य भी है तथा कार्य करने के इच्छुक भी है परन्तु फिर भी उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा है बेरोजगार कहलाता है तथा इस अवस्था को 'बेरोजगारी' कहा जाता है।

→ बेरोजगारी की गणना NSO के द्वारा की जाती है।
→ इसके लिये 'आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण' (PLFS) जारी किया जाता है।
↳ यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है। जिसे 2017 मे शुरु किया गया था।
↳ इसमे तीन मुख्य संकेतकों का प्रयोग किया जाता है-

① श्रमबल भागीदारी दर $= \dfrac{\text{श्रमबलों की संख्या}}{\text{जनसंख्या}} \times 100$

② कामगार जनसंख्या अनुपात $= \dfrac{\text{कामगारों की संख्या}}{\text{जनसंख्या}} \times 100$

③ बेरोजगारी दर $= \dfrac{\text{बेरोजगारों की संख्या}}{\text{श्रम बल}} \times 100$

→ उपर्युक्त तीनों संकेतकों की गणना महिलाओं, पुरुषों, ग्रामीण तथा शहरों के लिये की जाती है।

→ बेरोजगारी की गणना वार्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक रूप से की जाती है।

① सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी
→ ऐसे लोगो की संख्या जिन्हे पूरे वर्ष भर उनके कौशल के अनुसार कार्य नही मिला है।

② सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था बेरोजगारी
→ ऐसे लोगो की संख्या जिन्हे वर्ष भर अपने कौशल तथा कौशल से कम स्तर का कार्य भी नही मिला है।

③ वर्तमान साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी
→ ऐसे लोगो की संख्या जिन्हे पूरे सप्ताह कार्य नही मिला है।

④ वर्तमान दैनिक अवस्था
→ ऐसे लोगो की संख्या जिन्हें सप्ताह में एक या अधिक दिन काम नहीं मिला।

PLFS 2023-24 के आँकड़े

① भारत में श्रम बल भागीदारी दर → 45.1%

- ग्रामीण
  - पुरुषों में — 57.9%
  - महिलाओं में — 35.5%
- नगरीय
  - पुरुषों में — 59.00%
  - महिलाओं में — 22.3%

② कामगार जनसंख्या अनुपात → 43.7%

③ बेरोजगारी दर → 3.2%

- ग्रामीण
  - पुरुष → 2.7%
  - महिला → 2.1%
- शहरी
  - पुरुष → 4.4%
  - महिला → 7.1%

④ 15 वर्ष से अधिक शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर

- PS + SS → 7.1%
- ग्रामीण → 6.5%
- शहरी → 7.9%

⇒ बेरोजगारी दर युवा (15 से 29 वर्ष) → 10.2%

ग्रामीण		नगरीय	
पुरुष	8.7%	पुरुष	12.8%
महिला	8.2%	महिला	20.1%

बेरोजगारी के प्रकार

① चक्रीय बेरोजगारी → अर्थव्यवस्था में संवृद्धि और मंदी के चक्र चलते रहते हैं। आर्थिक संवृद्धि के समय बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है तथा मंदी के समय बेरोजगारी बढ़ जाती है।

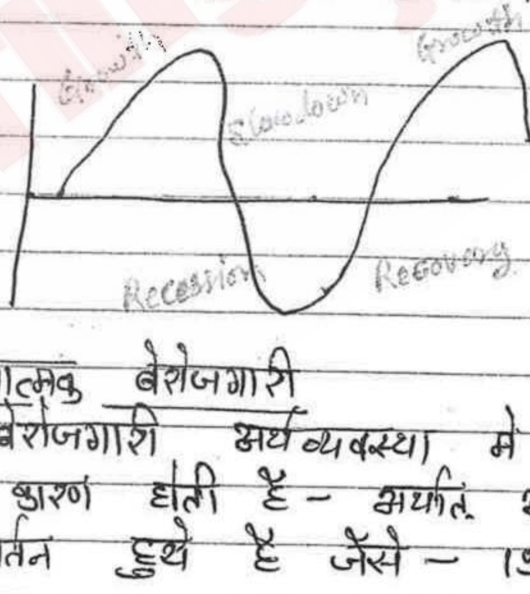

② संरचनात्मक बेरोजगारी
→ यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होती है - अर्थात् अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुये हैं जैसे - 1991 के आर्थिक सुधार।

③ घर्षणात्मक / संघर्षात्मक बेरोजगारी
→ इसमें व्यक्ति के द्वारा पुराने रोजगार को छोड़ दिया जाता है तथा वह नये रोजगार की

तलाश कर रहा है, इसलिये वह बीच मे कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है।

④ प्राकृतिक बेरोजगारी
→ ऐसी बेरोजगारी जिसमें घर्षणात्मक व संरचनात्मक दोनो प्रकार की बेरोजगारी के गुण होते है। अर्थात अर्थव्यवस्था मे बडे परिवर्तन भी हुये है तथा व्यक्ति ने पुराने रोजगार को छोडकर, नये रोजगार की तलाश कर रहा है।

⑤ प्रच्छन्न बेरोजगारी (छिपी हुई बेरोजगारी)
→ इसमें व्यक्ति कार्य में संलग्न तो होता है परन्तु उत्पादन में उसका योगदान नही होता है। यह बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र मे देखी जाती है।

⑥ अल्प बेरोजगारी
→ जब कोई व्यक्ति अपने कौशल के स्तर से नीचे के स्तर का कार्य कर रहा है तो इसे अल्प बेरोजगारी कहते है।

⑦ मौसमी बेरोजगारी
→ जब व्यक्ति को वर्ष के कुछ विशिष्ट भाग में रोजगार मिल जाता है परन्तु बाकि समयं उसे रोजगार नही मिलता है।
जैसे – पर्यटन, कृषि आदि

⑧ तकनीक बेरोजगारी
→ यह बेरोजगारी तकनीक में होने वाले बडे परिवर्तनों के कारण होती है जैसे – कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग।

बेरोजगारी के कारण

① रोजगार के लिए कृषि पर अतिनिर्भरता
② कृषि का पिछड़ापन
③ सेवा क्षेत्र द्वारा बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं किया जाता है इसलिए जॉबलैस ग्रोथ जैसी अवधारणाएं प्रचलित हुई।
④ जनसंख्या
⑤ कौशल का अभाव
⑥ शिक्षा की कमी तथा कमजोर गुणवत्ता
⑦ गरीबी
⑧ औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो सका
⑨ आर्थिक असमानता
⑩ सामाजिक भेदभाव
⑪ उद्यमिता का अभाव — भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या अधिक है परन्तु रोजगार प्रदान करने वालों की संख्या कम है।
⑫ वित्तीय समावेशन का अभाव
⑬ पूंजी आसानी से उपलब्ध नहीं है।
⑭ आधारभूत ढांचे का अभाव
⑮ औपनिवेशिक कारण
⑯ सामाजिक कुरीतियाँ
⑰ रोजगार की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अधिकतर रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है।
⑱ तकनीक परिवर्तन

बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं-:

1. मनरेगा
2. pm कौशल विकास योजना
3. pm उद्यमिता योजना
4. लखपति दीदी योजना
5. pm मुद्रा योजना
6. pm स्वनिधि योजना
7. pm विश्वकर्मा योजना
8. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY- NULM)
9. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन
10. रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
11. उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
12. pm गतिशक्ति
13. औद्योगिक गलियारे
14. स्टार्ट अप इण्डिया
15. स्टैंडअप इण्डिया
16. MSME के लिये प्रोत्साहन योजना
17. pm रोजगार सृजन कार्यक्रम